भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 387

15 सितम्बर, 2020 के लिए प्रश्न

राशन की दुकानों में ई-पीओएस उपकरण लगाना

387. श्री एम. वी. वी. सत्यनारायण:

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

श्री कुरुवा गोरांतला माधव:

श्री तालारी रंगैय्या:

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

श्री अदला प्रभाकर रेड्डी:

श्री श्रीधर कोटागिरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर की राशन की दुकानों में ई-पीओएस उपकरण लगाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन राज्यों ने पूर्ण या आंशिक रूप से कार्यक्रम को लागू किया है;

(ग) क्या केंद्र सरकार, आंध्र प्रदेश द्वारा पहले से खरीदे गए ई-पीओएस उपकरणों के लिए 130 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति करने की योजना बना रही है जो भारत सरकार के पास लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) और (ख): जी हां। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत कवर किए गए लाभार्थियों को राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों के वितरण में पारदर्शिता और कार्य कुशलता लाने के लिए इलेक्ट्रोनिक पॉइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) उपकरणों की स्थापना करके उचित दर दुकानों के स्वचालन के लिए इस विभाग ने नवंबर, 2014 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यान्वयन दिशा-निर्देश जारी किए थे। अब तक देश में स्थित कुल 5.4 लाख उचित दर दुकानों में से लगभग 90% दुकानों में ई-पीओएस उपकरण लगे हुए हैं। कार्यान्वयन की स्थिति दर्शाने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

.....2/-

(ग) और (घ): आंध्र प्रदेश सरकार से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक राज्य के भीतर खाद्यान्नों के संचलन, हैंडलिंग और उचित दर दुकानों के डीलरों की मार्जिन (मूल + अतिरिक्त) के लिए केन्द्रीय सहायता जारी करने हेतु 131.72 करोड़ रुपए का प्रस्ताव/दावा प्राप्त हुआ था। इसकी जांच की गई थी और पूर्ववर्ती वर्षों के लिए भुगतान की गई अग्रिम राशि के समायोजन के बाद 62.52 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है।

******

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 15.09.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 387 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-पीओएस की स्थापना (उचित दर दुकानों का स्वचालन) की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल उचित दर दुकानें	ईओएस उपकरणों की स्थापना का %
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	464	96%
2	आंध्र प्रदेश	28,936	100%
3	अरुणाचल प्रदेश	1,943	1%
4	असम	38,237	0%
5	बिहार	48,113	98%
6	चंडीगढ़ (डीबीटी के तहत)	लागू नहीं	लागू नहीं
7	छत्तीसगढ़	12,304	98%
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	114	100%
9	दिल्ली	2,018	0%
10	गोवा	456	100%
11	गुजरात	17,210	100%
12	हरियाणा	9,526	100%
13	हिमाचल प्रदेश	4,934	100%
14	जम्मू-कश्मीर	6,002	100%
15	झारखंड	25,532	100%
16	कर्नाटक	19,935	99%
17	केरल	14,189	100%
18	लद्दाख	409	100%
19	लक्षद्वीप	39	100%
20	मध्य प्रदेश	25,149	100%
21	महाराष्ट्र	52,532	100%
22	मणिपुर	3,063	70%
23	मेघालय	4,736	0%
24	मिजोरम	1,248	99%
25	नागालैंड	1,691	96%
26	ओडिशा	12,577	100%
27	पुदुचेरी (डीबीटी के तहत)	लागू नहीं	लागू नहीं
28	पंजाब	17,525	100%
29	राजस्थान	25,682	100%
30	सिक्किम	1,362	99%
31	तमिलनाडु	34,776	100%
32	तेलंगाना	17,170	100%
33	त्रिपुरा	1,806	100%
34	उत्तर प्रदेश	80,493	100%
35	उत्तराखंड	9,908	77%
36	पश्चिम बंगाल	20,261	100%
	योग	**5,40,340**	**90%**